पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)
आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 16(अ०)/आ०प्र० दिनांक 30.05.2012 से चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय मांग संख्या–39, उप शीर्ष–0102–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड–पी० 2245808000102 विषय शीर्ष–26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में 1.00 (एक लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2012–13 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या – 39) (विषय शीर्ष–26 01) (राज्य योजना स्कीम कोड – डी०आई०एस०–5332)

(रूपया में)

क्रमांक	आवंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	**प्रभारी उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना।**	0.00	1.00	1.00
	कुल :–	**0.00**	**1.00**	**1.00**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय मांग संख्या–39, उप शीर्ष–0102–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड–पी० 2245808000102 विषय शीर्ष–26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में उपवंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति/उपयोगिता प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को शीघ्र भेज दिया जाय।
3. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

5. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2013 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खातें में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-25/2012 15 /आ०प्र०, दिनांक 09/01/2013

प्रतिलिपि :– प्रभारी उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।